

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(हिंदी अनुभाग)

फा सं.: 20/1/2001-हिंदी

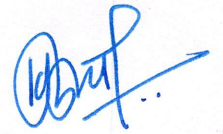
दिनांक : 15.09.2026

कार्यालय आदेश

परिषद मुख्यालय में दिनांक 16 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में, परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पूरे माह अपना दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में अधिकाधिक करने का प्रयास करें। इसके अलावा, मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जो निम्नानुसार हैं :-

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं।
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं। इसके साथ ही, 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले सभी अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी अनिवार्य रूप से 100% हिंदी में ही दिए जाएं।
3. सभी टिप्पणियां (मूल फाइल/ ई-ऑफिस) हिंदी में की जाएं।
4. सभी अधिकारी सभी प्रकार के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर केवल हिंदी में ही करें।
5. प्रभागों/अनुभागों के सभी प्रकार के रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।
6. परिषद के सभी वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सदैव प्रयासरत रहे।

भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं सद्भावना पर आधारित है, किंतु जान-बूझकर इसकी अवहेलना करना स्वीकार्य नहीं होगा।



(विवेक कुमार दक्ष)

वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (दोनों)/वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. परिषद के सभी प्रभाग- प्रमुख, वैज्ञानिक- जी।
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (दोनों) (वित्त एवं लेखा)/ सहायक महानिदेशक (दोनों) (प्रशा.)/ वरि. प्रशासन अधिकारी/वरि. लेखा अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी/लेखा अधिकारी।
4. सभी प्रभाग एवं अनुभाग ।
5. डॉ. एम. एस. चालगा, वैज्ञानिक-ई, परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।